डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीबानी)
Civil Procedure Code] AppendiÛ D&1)
अज अदालत भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर, कैम्प धौलपुर
व इजलास श्री सुनील आर्य (आर०ए०एस०)

अपील सख्याः– 32/2024 (223 आर० टी० एक्ट)
आरसीएमएस संख्या – 2024/89

उनवान

1. गज सिंह
2. रामसहाय } पुत्रगण हेत सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम नागर तहसील राजाखेड़ा।

..................अपीलांट।

बनाम

1. मुनेश कुमार पुत्रगण निरंजन
2. दिनेश कुमार
3. मुन्नी देवी बेवा निरंजन } जाति ठाकुर निवासी ग्राम नागर तहसील राजाखेड़ा।

...............................रेस्पोडेण्ट।

4. भगवती बेवा बिहारी
5. कमलेश पुत्री बिहारी पत्नी राकेश जाति ठाकुर निवासी ग्राम नागर तहसील राजाखेड़ा।
6. किरन देवी पुत्री बिहारी पत्नी राजकुमार जाति ठाकुर निवासी ग्राम मावली का नंगला तहसील बाड़ी।
7. प्रबंधक अलवर, भरतपुर ग्रामीण बैंक शाखा राजाखेड़ा।
8. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा राजाखेड़ा तामील जरिये प्रबंधक।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेड़ा।

.........................तरतीवी रेस्पोडेण्ट।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया० उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा दि० 27.06.2024 प्र.सं. 54/12 उनवानी मुनेश कुमार बनाम गज सिंह।

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी अपीलांट अभिभाषक **श्री निशान्त भार्गव** उपस्थित व रेस्पोडेंट अभिभाषक **श्रीकांत श्रीवास्तव** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि **अपील अपीलांट खारिज की जाती है।** अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2024 के आदेश यथावत रखे जाते है। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02 माह 01 सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत...

ऑफिसर भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जिदावा			स्टाम्प अर्जिदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वहज सबूत			स्टाम्प वहज सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दी, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज कराना चाहिये।

मुहर

दस्तखत...

औहदा भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनील आर्य, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 32/24 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2024/89

उनवान

1. गज सिंह उम्र करीब 65 वर्ष } पुत्रगण हेत सिंह जातिगण ठाकुर निवासीगण ग्राम नागर
2. रामसहाय उम्र करीब 75 वर्ष } तहसील राजाखेडा।

.........................अपीलांट।

बनाम

1. मुनेश कुमार } पुत्रगण निरंजन } जातिगण ठाकुर निवासीगण ग्राम नागर तहसील राजाखेडा।
2. दिनेश कुमार }
3. मुन्नी देवी वेवा निरंजन

.... असल रेस्पोंडेंट।

4. भागवती वेवा बिहारी (फौत)
5. कमलेश पुत्री बिहारी पत्नी राकेश जाति ठाकुर निवासी ग्राम नागर तहसील राजाखेडा।
6. किरनदेवी पुत्री बिहारी पत्नी राजकुमार जाति ठाकुर निवासी ग्राम मावली का नगला तहसील बाडी।
7. प्रबंधक अलवर भरतपुर ग्रामीण बैंक शाखा राजाखेडा।
8. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा राजाखेडा तामील जरिये प्रबंधक।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेडा।

.... तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा दिनांक 27.06.2024 मि.नं. 54/12 उनवानी मुनेश कुमार बनाम गज सिंह।

अभिभाषकगण :–

1. श्री निशान्त भार्गव वकील अपीलांट उपस्थित।
2. श्री श्रीकांत श्रीवास्तव वकील रैस्पो0 उपस्थित।

निर्णय

दिनांक–02.01.2025

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2024 के विरूद्ध पेश की गयी है। संक्षेप

भू प्रबंध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

[illegible] कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम नागर तहसील राजाखेडा स्थित आराजी खसरा नं. 1233, 1234, 1044, 1222, 1244, में वादीगण (रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3) एवं प्रतिवादीगण (अपीलार्थीगण

में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/असल रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट एवं तरतीवी रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी के उभयपक्षकारान सम्मिलित रूप से खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी हैं। विवादित आराजी का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतः सम्मिलित रूप से काश्त करने में आये दिन फसल एवं फसल आदि में हुये खर्चे को लेकर पक्षकारान के मध्य झगडा फसाद हो जाता है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2024 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलव किये गये। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए बहस में तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश व डिक्री कानून व रिकार्ड के खिलाफ है व काबिल निरस्तनीय हैं। यह है कि प्रकरण में भागवती का निधन दौराने वाद ही हो चुका था। अतः डिक्री मृतक व्यक्ति के विरूद्ध पारित हुयी है। उक्त आराजी से संबंधित एक वाद रामसहाय बनाम दिनेश भी अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित चल रहा था। अतः अधीनस्थ न्यायालय को दोनों वादो को कंसोलिडेट किया जाना चाहिये था, जो नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.06.2024 को प्रतिवादी उपस्थित नहीं थे। अतः पहले उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जानी चाहिये था तथा फिर अपीलाधीन आदेश पारित करना चाहिये था। प्राथमिक डिक्री में उभयपक्ष की उपस्थिति दिखाई, जो आदेशिका के विपरीत है। अंत में अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर डीएनजे 2020(4) पेज 944, आरबीजे 2012 पेज 244, 2022 पेज 551,554, आरआरटी 2024(1) पेज 245, 2023(2) पेज 1227 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य का अवसर दिया है। किन्तु अपीलाण्ट ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। साक्ष्य नहीं हुयी अतः जवाब दावा में उठाये गये बिन्दु प्रमाणित नहीं माने जा सकते। भागवती की मृत्यु दौराने दावा हुयी है। परन्तु उसके वारिस पूर्व से ही रिकार्ड पर हैं। अतः अपीलाधीन आदेश मृतक व्यक्ति के विरूद्ध नहीं माना जा सकता है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट की हस्तगत अपील में प्रमुखता से यह आपत्ति रही है कि दौराने दावा भागवती की मृत्यु हो गयी थी। अतः डिक्री मृतक के विरूद्ध पारित हुयी है एवं अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.06.2024 को प्रतिवादी अपीलाण्ट उपस्थित नहीं थे। अतः उनके विरूद्ध पहले एक पक्षीय कार्यवाही अमल

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

में लायी जाकर निर्णय पारित करना चाहिये था। हमने पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.02.2024 से 30.05.2024 तक कुल 10 अवसर दिये गये हैं एवं पेशी दिनांक 06.06.2024 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी अपीलाण्ट को अंतिम अवसर देते हुये स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि यदि अग्रिम पेशी पर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो साक्ष्य बंद कर प्रकरण बहस हेतु नियत कर दिया जावेगा। इसके बाबजूद भी प्रतिवादी अपीलाण्ट द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं गयी। इसके अलावा साक्ष्य प्रस्तुत करना तो दूर, न्यायालय द्वारा निर्धारित पेशी दिनांको पर उपस्थित भी नहीं आये। अतः अपील में यह मुद्दा उठाना कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2024 को वह उपस्थित नहीं थे, तो अधीनस्थ न्यायालय को प्रथम उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करनी चाहिये थी। तत्पश्चात् अपीलाधीन आदेश पारित करने का कथन सारपूर्ण नहीं है। क्योंकि पक्षकार स्वयं का दायित्व है कि वह स्वयं न्यायालय की कार्यवाही से सूचित रहे अथवा यथासंभव अपने अधिवक्ता के सम्पर्क में रहें। जहॉ तक भागवती की मृत्यु दौराने दावा होने का प्रश्न है ? भागवती के वारिसान प्रकरण में पूर्व से पक्षकार मुकदमा हैं। अतः डिक्री मृतक व्यक्ति के विरूद्ध नहीं मानी जा सकती। हम यह भी पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार राजाखेडा को आदेशित किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा दौराने बहस यह कथन नहीं किया कि प्राथमिक डिक्री किस प्रकार विधि विरूद्ध है। अपीलाण्ट द्वारा अपील में केवल तकनीकी आपत्तियॉ ही उठायी हैं। प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव तैयार होकर आने हैं एवं उक्त विभाजन प्रस्तावो पर अपीलाण्ट आपत्ति करने को स्वतंत्र हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2024 यथावत रखें जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 02.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर